संख्या:53/2021/1887जेएल/22-3-2021-800(119)/2016

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
फतेहपुर।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनाक: 18 अक्टूबर, 2021*

विषय- जिला कारागार फतेहपुर के सिद्धदोष बंदी नकवी उर्फ अशोक पुत्र श्री राज बहादुर, निवासी-लखनहा, थाना-असोथर, जनपद-फतेहपुर की पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) में वृद्धि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2145/जि0प्रो0का0/बन्दी पैरोल/2021-22, दिनांक 07-10-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जिला कारागार फतेहपुर के सिद्धदोष बंदी नकवी उर्फ अशोक पुत्र श्री राज बहादुर, निवासी-लखनहा, थाना-असोथर, जनपद-फतेहपुर को शासनादेश संख्या-43/2021/1359जेएल/22-3-2021-800(119)/2016, दिनांक 12-08-2021 के क्रम में एक **माह की पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या:53/2021/1887जेएल(1)/22-3-2021-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
3- पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, फतेहपुर।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।